

i kpk; [dk dk; kly;] ukyUnk efMdy dkyyst] i Vuk& 26
fufonk & I puk

इस चिकित्सा महाविद्यालय के चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय / विभागीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विभिन्न श्रेणी के पाठकों यथा UG,PG सुपर स्पेशलिटी सहित विषयों के लिए शोध सामग्री की उपलब्धता हेतु पुस्तक एवम् जर्नल के क्रय के लिए G.O.C अर्हता रखने वाले प्रकाशकों, प्रकाशक द्वारा प्राधिकृत, Distributors, Subscription Agent से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिवसीय दिनों के अन्दर पुस्तकों एवम् जर्नलों की सूची दर रहित सील्ड लिपफापफें में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जायेगी ।

पुस्तक विक्रेताओं / Subscription Agent के द्वारा पुस्तक सूची में लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, अद्यतन संस्करण के साथ-साथ जर्नलस के टाइटल एवम् विस्तृत विवरणी का उल्लेख करेंगे ।

1. बिहार वित्त नियमावली संशोधित 2005-06 के नियम 125 एवम् G.O.C मानक तथा M.C.I मानक के अनुसार पुस्तकों एवम् जर्नलों का क्रय किया जाएगा ।
2. पुस्तकों एवम् जर्नलों की अनुशंसा विभागाध्यक्षों, विभागीय चिकित्सकों, PG एवम्~ Super Speciality विषयों के विभागाध्यक्षों एवम् स्नातक छात्रों के द्वारा किया जायेगा ।
3. जिन-जिन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रकाशक कैटलग संलग्न करने पर क्रमांक 02 में अंकित विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों, शिक्षकों एवम् छात्रों के द्वारा अनुशंसोपरान्त क्रय समिति के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को चयन एवम् क्रयादेश में प्राथमिकता दी जायेगी ।
4. चयनित आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश के पफलस्वरूप केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की आपूर्ति तथा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Originality प्रमाण पत्रा अंकित करना होगा जिस पर उनके Propwriter / Directors के द्वारा स्वयं या Authority के उपरान्त ही पुस्तक एवम् जर्नल स्वीकार किये जायेंगे ।
5. पुस्तक एवम् जर्नल आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश के उपरान्त आपूर्ति करने के पफलस्वरूप उनके द्वारा समर्पित विपत्रा पर G.O.C के मानक के अनुसार धेषणा करना पड़ेगा जो अनिवार्य होगा ।
6. विदेशी प्रकाशन में पुस्तक एवम् जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर / प्रकाशक दर में देना होगा ।
7. भारतीय प्रकाशन में पुस्तक एवम् जर्नल का मूल्य / प्रकाशक दर देना होगा ।
8. एशिया चिकित्सा पुस्तक एवम् जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर / प्रकाशक दर में देना होगा ।
- 9- F.O.R
10. पुस्तक एवम् जर्नल के लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगा ।
11. पुस्तकालय छूट देय होगा ।
12. अधेहस्ताक्षरी को बिना कारण बताएँ निविदा को रद्द करने या समान शर्तों वाले के बीच वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
13. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्रा पटना न्यायालय, पटना होगा ।

इस सूचना को संस्थान के वेबसाइट www.nmchpatna.org पर प्राप्त किया जा सकता है ।

प्राचार्य
नालन्दा मेडिकल कॉलेज,पटना